

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

क्रमांक एफ 5-1/2017/18-5-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ.3288(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए)

- (1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से.(से.नि.) अध्यक्ष
डी-9,74 बंगला, भोपाल
- (2) श्री आर.के.शर्मा, सदस्य
39, रघुनाथ नगर, निकट-शाहपुरा थाना,
भोपाल
- (3) कार्यकारी निदेशक, सदस्य सचिव
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको)
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)

- (1) मो० कासम खान, भा.व.से.(से.नि.) अध्यक्ष
एफ 402, रेमालिया हाईट्स, अहमदाबाद पैलेस,
कोहफिजा, भोपाल
- (2) डॉ० मो० अकरम खान सदस्य
सी-156, वीडिए कॉलोनी, कोहफिजा,
भोपाल
- (3) डॉ० ए०के०शर्मा, सदस्य
मकान नं.-61, फेज-1, सिविरा टॉउन, निकट
माता मंदिर, भोपाल
- (4) डॉ० रुबिना चौधरी सदस्य
उर्जा और पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय,
इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय, देवा अहिल्या
वि०वि०, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड, इंदौर
- (5) डॉ० सोनल मेहता, सदस्य
11/6, पर्ल शालीमार एन्क्लेव, ई-3,
अरेरा कॉलोनी, पारस सिटी के सामने, भोपाल
- (6) श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य
डुप्लेक्स-145, फेज-1, शीतल मेगा सिटी,
गज्जू-पिपलिया रोड, मंडीदीप, जिला रायसेन
- (7) डॉ० जय प्रकाश शुक्ला सदस्य
जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी
समूह, वीएसआईआर-उन्नत सामग्री और प्रकिया
संसाधन अनुसंधान संस्थान, भोपाल

(8) श्री रामेश्वर माहेश्वरी,
182-एम, कथिवाला टैंक
इंदौर

सदस्य

(9) सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर,
भोपाल

सचिव

2/ उक्त सिया/सेक समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 तक रहेगा ।

3/ उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) मध्य प्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का.आ.49(अ), दिनांक 08 जनवरी, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे ।

4/ उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्ते/सुविधायें मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4/2006/32, भोपाल, दिनांक 27/2/2008 के अनुसार देय होंगे ।

5/ भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49(अ), दिनांक 1.1.2008 की कंडिका-5 एवं कंडिका-10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) मध्य प्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है ।

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ० क्रमांक एफ 5-1/2017/18-5

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि:

- 1/ संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ.3288(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित ।
- 2/ प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
- 3/ प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
- 4/ कार्यपालन संचालक, एफको, भोपाल एवं सदस्य सचिव, सिया । कृपया सर्वसंबंधितों को अपने स्तर से आदेश वितरित करवाने का कष्ट करें ।
- 5/ अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 6/ विशेष सहायक, मा० मंत्रीजी, पर्यावरण, मध्य प्रदेश शासन ।
- 7/ नियंत्रक, शा० केन्द्रीय मुद्रणालय, मैदा मिल रोड, भोपाल । कृपया उक्त आदेश को मध्य प्रदेश साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर अधिसूचना की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग